

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

आवेदन सं. 445/2025 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट,1956

मूलदान वगैरा बनाम चौथा वगैरा

पीठासीन अधिकारी-बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण वकील-श्री मेहराराम सारण

निर्णय

दिनांक-03/02/2026

प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री मेहराराम सारण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हक हकूक व कब्जा काशत का खेत तहसील सेड़वा के पटवार क्षेत्र भैरुड़ी के भू.अ.नि. क्षेत्र बामडला के मौजा चालकना के खेत खाता संख्या नया 38 के खसरा संख्या 139 रकबा 0-3076 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, मौजा भवानीपुरा के खाता संख्या नया 40 के खसरा संख्या 130 रकबा 2-5819 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 132 रकबा 0-0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु.ढाणी, खसरा संख्या 133 रकबा 1-6754 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 186 रकबा 4-1440 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 269/198 रकबा 12-9621 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, मौजा भवानीपुरा के खाता संख्या नया 15 के खसरा संख्या 230/130 रकबा 2-5819 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 231/132 रकबा 0-0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु.ढाणी, 232/133 रकबा 1-6754 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, 265/233 रकबा 3-9628 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 267/234 रकबा 12-8407 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेठों को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पैमाइश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों यथा-जमाबंदी संवत् 2073-76, खसरा नक्शा एवं जमाबंदी तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अवलोकनोपरांत जाहिर होता है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है। अस्तु, प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाइश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण के उपरांत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा के पटवार क्षेत्र भैरुड़ी के भू.अ.नि. क्षेत्र बामडला के मौजा चालकना के खेत खाता संख्या नया 38 के खसरा संख्या 139 रकबा 0-3076 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, मौजा भवानीपुरा के खाता संख्या नया 40 के खसरा संख्या 130 रकबा 2-5819 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 132 रकबा 0-0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु.ढाणी, खसरा संख्या 133 रकबा 1-6754 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 186 रकबा 4-1440 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 269/198 रकबा 12-9621 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, मौजा भवानीपुरा के खाता संख्या नया 15 के खसरा संख्या 230/130 रकबा 2-5819 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 231/132 रकबा 0-0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु.ढाणी, 232/133 रकबा 1-6754 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, 265/233 रकबा 3-9628 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 267/234 रकबा 12-8407 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी कार्य हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्षों के रुबरु किसी मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाइश करें व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि विचारित प्रकरण में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, तो वह हल्का पटवारी के साथ उभय पक्षों के रुबरु विवादित भूमि के मौके व कब्जे काशत में परिवर्तन के बिना मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाइश करें व नियमानुसार नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करें। मौके पर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत (यदि आवश्यकता हो तो) तहसीलदार को नियमानुसार पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को आदेश दिया जाता है।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हमारे पास आज दिनांक 03/02/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा
(SDO) सेड़वा